

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज.(प्रा.शि.) राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-प्रारं /नियु-प्रको. /नियु-2 /982 /शि.भ.18 /ले-2 /गै.अ. /अंग्रेजी /2018

दिनांक : ८.३.१९

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,  
जिला परिषद  
समस्त |

**विषय:-** राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 लेवल द्वितीय के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दिये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का समसंख्यक पत्रांक दिनांक 05.03.2019

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त शिक्षक भर्ती अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों की काउसलिंग/नियुक्तियां दिये जाने हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 05.03.2019 द्वारा जारी विस्तृत दिशा- निर्देशों के क्रम मे निम्नानुसार कार्यावही संपादित करें:-

- पाहा रामापद का

  - पूर्व मे मुख्य सूची के चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रकरण विभिन्न कारणों से लम्बित हैं, जिला पारिवारित हान पर ऐसे अभ्यर्थियों के दस्तावेज नव आवंटित जिले के जिला परिषद को तत्काल भिजवाया जाये।
  - पूर्व मे मुख्य सूची के चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रकरण विभिन्न कारणों से लम्बित है, तथा जिला यथावत है उनकी पात्रता सुनिश्चित करते हुए तत्काल नियुक्तियां प्रदान की जाये।
  - पूर्व मे मुख्य सूची मे चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनको पूर्व मे प्रमाण-पत्रों/निर्धारित शैक्षिक योग्यता (एच्छिक अंग्रेजी) के अभाव मे अपात्र किया गया व दिनांक 28.02.2019 को जारी चयन सूची मे ऐसे अभ्यर्थी पुनः चयनित हुए हैं, तो उनके चयन वर्ग से संबंधित दस्तावेजों की जांच करते हुए अन्यथा पात्र होने पर नियुक्तियां दी जायें (उदाहरणार्थ पूर्व मे अभ्यर्थी उत्कृष्ट खिलाडी, भूतपूर्व सैनिक, परित्यक्ता के रूप मे चयनित हुए व प्रमाण पत्रों के अभाव मे तत्समय अपात्र किया गया अब इनको इनकी मूल वर्ग के अनुसार चयनित किया गया है, इसी प्रकार पूर्व मे जिनको अंग्रेजी अनिवार्य विषय के कारण अपात्र कर दिया गया तथा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार अब पात्र किया गया है)।
  - बिन्दु संख्या 3 मे उल्लेखित प्रकरणों के अनुसार जिनका जिला परिवर्तित हुआ है तो उनके दस्तावेज नव आवंटित जिले के जिला परिषदों को भिजवाये जाये।
  - विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के संबंध मे अलग-अलग 4 प्रकार की एक्सल शीट भिजवाई गई है:-  
    - सभी अभ्यर्थियों के सम्पूर्ण डाटा की शीट
    - जिले मे अन्य जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों की शीट
    - अन्य जिलों मे जाने वाले अभ्यर्थियों की शीट
    - नव चयनित अभ्यर्थियों की शीट

विभाग द्वारा उक्त भर्ती अन्तर्गत चयनित सभी अभ्यर्थियों के चयन आदेश व जिला आवंटन की सूचियां विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करवाई गई हैं अतः विभागीय बेबसाईट से पद वार आदेश डाउन लोड कर रिकॉर्ड मे सुरक्षित रखें, व सॉफ्ट कॉपी मे भिजवाई गई सूचनाओं मे तथा हस्ताक्षरित आदेशों मे अंतर होने की स्थिति मे हस्ताक्षरित आदेशों की सूचना को सही माना जाये।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

Om  
निदशक

**प्रतिलिपि:-** निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
  2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राजमंत्री (स्वर्तंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
  3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
  4. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
  5. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय) समस्त।
  6. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा (विधि) जयपुर / जोधपुर।
  7. रक्षित पत्रावली।

  
निंदेशक